न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
सीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
ण संख्याः—24/2022
ी.एम.एस नं.—2022/48

गुरप्रीतकौर पत्नी अमरजीतसिंह उम्र—34 वर्ष
मनजीतसिंह पुत्र सोहनसिंह उम्र—42 वर्ष
मनप्रीतकौर पत्नी मनजीतसिंह उम्र—40 वर्ष
हरभजनसिंह पुत्र सोहनसिंह उम्र—42 वर्ष अकवास मजहबी निवासीगण चक—19 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——प्रार्थीगण

बनाम्

ोहनसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति मजहबी उम्र—80 वर्ष निवासी चक—19 पी तहसील अनूपगढ़ जिला ीगंगानगर (राज.)
दीपसिंह पुत्र परमजीतसिंह जाति मजहबी उम्र 23 वर्ष निवासी चक—19 पी तहसील अनूपगढ़ जला श्रीगंगानगर (राज.)
टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील उपस्थित

ी तिलकराज चुघ एडवोकेट —प्रार्थीगण की ओर से
ी अनिल गक्खड़ एडवोकेट —अप्रार्थीगण की ओर से

दिनांक—27.03.2025

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक—19 पी तहसील अनूपगढ़ का नं.—11 पं.नं.—58/63 के किला नं.—6 ता 8, 13 ता 25 की कुल 4.048 हैक्टर कमाण्ड/नकमाण्ड प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं.—1 व 2 के नाम से सयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड दर्ज है व मु.नं.—12 पं.नं.—58/55 के कि.नं.—1, 10, 11, 16, 20, 21,22, 23, 24, 25 कुल 503 हैक्टर अनकमाण्ड प्रार्थी सं.—2 एवं अप्रार्थी सं.—1 के नाम से सयुक्त रूप से राजस्व कार्ड में दर्ज है जिसको आईन्दा विवादित भूमि कहा गया। जमाबन्दी की प्रतियां सलग्न र्थना पत्र हैं यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.—1 व 2 के नाम से सयुक्त रूप से राजस्व कार्ड मे दर्ज है तथा मु.नं.—12 पं.नं.—58/55 के किला नं.—1, 10, 11, 20, 21 मे गैर किन रास्ता हैं प्रार्थीगण यहां यह दर्ज करते हैं कि पूर्व में उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं.–1 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा उक्त भूमि संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड मे होने के कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 के ही सयुक्त अधिकार व अधिपत्य में थी। अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थीगण का पिता/ससुर हैं अप्रार्थी सं.–1 ने पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने के उदेश्य से अरसा करीब 15 वर्ष पूर्व पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत प्रार्थना–पत्र में मु.नं.–11 पं.नं.–58/63 व मु.नं.–12 पत्थर नं.–58/55 की समस्त कृषि भूमि में से अप्रार्थी सं.–1 ने अपने हिस्सा की भूमि प्रार्थीगण को प्रदत कर दी थी जिस पर तब से लेकर आज रोज तक उक्त समस्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण के निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही हैं तथा प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि व रास्ता का निरन्तर उपयोग एवं उपभोग कर रहे हैं तथा वर्तमान में भी विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा हैं व फसल काश्त की हुई खड़ी हैं राजस्व कर एवं सिंचाई कर निरन्तर प्रार्थीगण अदा करते आ रहे हैं यह कि प्रार्थना पत्र कृषि भूमि चूकिं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 के मौका पर सयुक्त राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हैं जिसका अभी तक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 के मध्य खाता विभाजन नंही हुआ हैं और ना ही अभी तक किस हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हुई हैं कि उक्त विवादित भूमि मे किस हिस्सा पर व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा हैं चूकिं अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अरसा 15 वर्ष पूर्व ही अपने हिस्सा की भूमि पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत प्रार्थीगण को सौप दी थी तदुपरांत उक्त समस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के ही निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही हैं आज भी मौका पर समस्त कृषि भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का ही हैं यह कि अप्रार्थी सं.–1 जो कि वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हैं अप्रार्थीगण सं.–2 बहुत ही होशियार किस्म का है जिसने अप्रार्थीगण सं.–1 की वृद्धावस्था का वेजा फायदा उठाकर व अप्रार्थीगण सं.–1 को अपने अनुचित प्रभाव में लेकर प्रार्थीगण को उनके हक अधिकारो से महरूम करने के उदेश्य से अप्रार्थीगण सं.–2 ने अप्रार्थीगण सं.–1 से उसके नाम व हिस्सा की कृषि भूमि मे से कुछ भूमि का कथित हस्तान्तरण का दस्तावेज अपने नाम निष्पादित कर पंजीकृत करवा लिया और उस तथाकथित दस्तावेज के आध द्वार पर अप्रार्थीगण सं.–2 के नाम नामान्तरण प्रक्रियाधीन है जबकि तथाकथित दस्तावेज के प्रकाश में विवादित भूमि के किसी भी अशं का कब्जा अप्रार्थीगण सं. –2 को प्राप्त नही हुआ और ना ही अप्रार्थीगण सं.–2 का विवादित भूमि के किसी अशं पर कब्जा हैं त्तथाकथित दस्तावेज में दर्शाया गया कब्जा का अन्तरण नुमाईशी हैं जिसके आधार पर कब्जा का अन्तरण नहीं हुआ हैं क्योकि समस्त विवादित भूमि पिछले करीब 15 वर्षो से पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत हमे प्रार्थीगण के निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही हैं ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण सं.–1 द्वारा अप्रार्थीगण सं.–2 के पक्ष में करवाया गया तथाकथित दस्तावेज अवैध एवं विधि विरुद्ध हैं यह कि विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त अधिकार व अधिपत्य की हैं जिसमें से विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कृषि भूमि के किसी भी अश को अन्यत्र हस्तांतरित करने का अप्रार्थीगण सं.–1 को कतई कानूनी अधिकार प्राप्त नही हैं और ना ही अप्रार्थीगण सं.–1 अपने हिस्सा की कृषि भूमि को अन्यत्र अन्तरण करने में सक्षम था और ना ही बिना खाता विभाजन करवाएं संयुक्त खाता की भूमि को प्राप्त करने के लिए अप्रार्थी सं.–2 सक्षम भी ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं.–2 द्वारा अपने पक्ष में करवाया गया तथाकथित दस्तावेज विधिविरूद्ध होने के कारण आरम्भ से शुन्य दस्तावेज हैं यह कि अपार्थीगण सं.–2 का विवादित भूमि के किसी भू.भाग पर कब्जा नहीं हैं बल्कि यह बलपूर्वक तथाकथित दस्तावेज की आड में विवादित भूमि में जबरन दाखिल होने के प्रयासरत हैं जिसका वह कानूनी रूप से कतई अधिकारी नहीं हैं अगर अजनबी क्रेता अर्थात अप्रार्थी सं.–2 द्वारा संयुक्त खाता की कृषि भूमि बिना खाता विभाजन करवाए प्राप्त है तो वह ऐसी भूमि का बिना खाता विभाजन करवाए कब्जः प्राप्त नहीं कर सकता और ऐसा अजनबी क्रेता ऐसी भूमि पर कब्जा करता हैं तो उसे अस्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा रोका जा सकता हैं जिस सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किए हैं तथा माननीय राजस्व मण्डल की वृहदपीठ द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत में यह भी व्यवस्था दी हैं कि संयुक्त सम्पति में कोई अजनबी व्यक्ति किसी सह स्वामी के हिस्सा की भूमि क्रय/प्राप्त करता हैं तो उस हिस्सा को बंटवारा करवाकर ही काबिज हो सकता है लेकिन अप्रार्थी सं.–2 द्वारा बिना खाता विभाजन करवाए संयुक्त खाता की कृषि भूमि कथित हस्तान्तरण के दस्तावेज के द्वारा प्राप्त की हैं जिसे विवादित भूमि के किसी भू भाग का कब्जा प्राप्त नही हुआ हैं लेकिन अप्रार्थी सं.–2 तथाकथित तैयार किए गए दस्तावेज की आड में विवादित भूमि पर काबिज कौम होने के प्रयासरत हैं जिसे ऐसा करने से रोका जाना नितॉत आवश्यक हैं यह कि आज से अरसा पाचं रोज पूर्व अप्रार्थी सं.–2 ने यह स्पष्ट धमकी दी की उसने अप्रार्थी सं.–1 से अपने पक्ष में हस्तान्तरण का दस्तावेज तैयार करवा लिया हैं अब वह शीध्र ही बैयनामा के आधार पर अपने नाम अंकन करवाकर प्रार्थीगण को विवादित भूमि से जबरन बेदखल कर देगा और विवादित भूमि के विशिष्ट किलाजात की भूमि पर अपना जबरन कब्जा करेगा तथा अप्रार्थी सं.–1 ने भी अप्रार्थी सं.–2 की बातो का समर्थन किया यह कि प्रार्थीगण निवेदन करते हैं कि प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र में दर्ज कृषि भूमि के सहखातेदार कृषक हैं चूकि प्रार्थना–पत्र मे दर्ज भूमि राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज हैं जिस पर पारिवारिक मौखिक समझौता के प्रकाश में पिछले करीब 15 वर्षो से प्रार्थीगण का निरन्तर अधिकार व अधिपत्य चला आ रहा हैं लेकिन अप्रार्थी सं.–2 ने यह स्पष्ट व एलानिया धमकी दी हैं कि वह प्रार्थीगण को विवादित भूमि से जबरन बेदखल कर देगा और विवादित कृषि भूमि के विशिष्ठ किलाजात की भूमि पर अपना जबरन कब्जा करेगा जबकि अप्रार्थी सं.–2 को ऐसा करने का विधिक अधिकार नहीं हैं यदि अप्रार्थी सं.–2 अप्रार्थी सं.–1 के साथ मिलकर अपने उक्त नापाक ईरादे मे कामयाब हो गया तो इससे प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

संवैधानिक अधिकारो का हनन होगा ओर प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षति पुर्ति मुद्रा की ऐवज मे नंही हो सकेगी ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं.–1 व 2 सयुक्त खाता की विवादित कृषि भूमि चक–19 पी तहसील अनूपगढ का मु.नं.–11 पं.नं.–58/63 के कि.नं.–6 ता 8, 13 ता 25 की कुल 4.048 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड व मु.नं.–12 पं.नं.–58/55 के कि.नं.– 1, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 की कुल 2.503 हैक्टर अनकमाण्ड पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उसके उपयोग उपभोग एंव सिंचाई में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत करने व करवाने बाज या ममनू रहे तथा अप्रार्थी सं.–2 बिना खाता विभाजन करवाए उक्त विवादित भूमि के किसी भू भाग पर कब्जः करने व करवाने से व जबरन दाखिल होने से व्यादेशित रहे तथा अप्रार्थीगण मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं.–1 व 2 की तरफ से वकील अधिवक्ता अनिल कुमार गखड़ उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं.–1 व 2 ओर से जवाब हैं यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 व 2 के नाम से दर्ज होना रिकार्ड का तथ्य हैं तथा इस मद में वर्णित दोनो मुरब्बो अर्थात चक–19 पी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–11 पं.नं.–58 की कुल 4.048 हैक्टर कमाण्ड में अप्रार्थी सं.–1 के नाम 285/1012 हिस्सा व मु.नं.–12 पं.नं.–58/55 की कुल 2.505 हैक्टर कमाण्ड/अकमाण्ड गै.मु.रास्ता में अप्रार्थी सं.–1 के नाम 3041/8101 हिस्सा संयुक्त खाता में संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हैं जिसमें अप्रार्थी सं.–1 अपने हिस्सा की कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकारी हैं प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नंही हैं तथा प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अधिकार रहित प्रस्तुत किया हैं यह कि प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का कोई भी भू भाग कभी भी प्रार्थीगण को कथित पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत प्रदत नहीं किया बल्कि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 की स्वयं अर्जित खातेदारी सम्पति हैं जो अप्रार्थी सं.–1 द्वारा कभी भी प्रार्थीगण को प्रदत नंही की गई और ना ही अप्रार्थी सं.–1 के हिस्सा की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है और ना ही अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में प्रार्थीगण का कोई हित व हिस्सा बनता है और ना ही प्रार्थीगण का कोई हित निहित हैं राजस्व रिकार्ड में आज भी अप्रार्थी सं.–1 की नाम बतौर खातेदार कृषि है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र पेश करने की कोई लोकसस्टेण्डी नहीं हैं चक–19 पी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–11 पं.नं.–58 की कुल 4.048 हैक्टर कमाण्ड में अप्रार्थी सं.–1 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

285/ ... 58/55 की कुल 2.505 हैक्टर कमाण्ड/अ.कमाण्ड
गाँ मु.रास्ता में अप्रार्थी सं.–1 के नाम 3041/8101 हिस्सा संयुक्त खाता में संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड से खातेदारी दर्ज है जिसके किसी भू भाग पर प्रार्थीगण का कब्जा नही हैं और न कभी कथित पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत प्रार्थीगण को प्रदत की गई और का अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में प्रार्थीगण का कोई हित निहित है यह चूकिं उक्त वादाधीन भूमि मन अप्रार्थी की खातेदारी एवं स्वयअर्जित भूमि थी इसलिए मन अप्रार्थी ने अपनी स्वतत्रं इच्छा, स्वेच्छा एवं स्वरथचित मन से अपने नाम की संयुक्त खाता की कृषि भूमि चक–19 पी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–11 पं.नं.–58 की कुल 4.048 हैक्टर कमाण्ड में से अप्रार्थी सं.–1 के 285/1012 हिस्सा यानि 1.140 हैक्टर में से 1.012 हैक्टर व मु.नं.–12 पं.नं. –58/55 की कुल 2.505 हैक्टर में से अप्रार्थी सं.–1 के 3041/8101 हिस्सा यानि 0.940 हैक्टर में से 0.253 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.265 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि अपने पौत्र संदीपसिहं अप्रार्थी सं.–2 को दान में देकर दस्तावेज दान पत्र दिनांक–29.11. 2021 को बरोबरू गवाहन अप्रार्थी सं.–2 के पक्ष में लिखवाकर दस्तावेज को सुन समझकर व सही होना मानकर व अपनी स्वयअर्जित खातेदारी कृषि भूमि अपने पौत्र को दान देना स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर अगुठे अंकित कर निष्पादित किया और मन अप्रार्थी ने स्वयं उप पंजीयक अनूपगढ़ के समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतू प्रस्तुत कर व सुन समझकर सही होना मानकर दस्तावेज दान पत्र दिनांक–29.11.2021 को अप्रार्थी सं.–2 के पक्ष में पंजीकृत करवाकर अप्रार्थी सं.–2 के हवाले किया और कब्जा भूमि मौका पर उसी रोज अप्रार्थी सं.–2 को सौप दिया था जिस पर तब से लेकर आज रोज तक अप्रार्थी सं.–2 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं तथा शेष भूमि पर अप्रार्थी सं.–1 का कब्जा है तथा पंजीकृत दस्तावेज दान पत्र के आधार पर उक्त वादाधीन भूमि के समस्त प्रकार के हक अधिकार, अधिपत्य एवं स्वामित्व अप्रार्थी सं.–2 में निहित हो चुके हैं तथा दस्तावेज दान पत्र के आधार पर अप्रार्थी सं.–2 के नाम नामान्तरण प्रक्रियाधीन था प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा हैं अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अप्रार्थी सं.–2 के पक्ष में करवाया गया दस्तावेज दान पत्र विधि एक दस्तावेज हैं प्रार्थना–पत्र वादाधीन भूमि अप्रार्थी सं.–1 की खातेदारी एवं स्वयअर्जित भूमि थी इसलिए अप्रार्थी सं.–1 ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा, स्वेच्छा एवं स्वस्थचित मन से अपने पौत्र संदीपसिहं अप्रार्थी सं.–2 को दान में देकर दस्तावेज दान पत्र दिनांक–29. 11.2021 को बरोबरू गवाहन अप्रार्थी सं.–2 के पक्ष में लिखवाकर दस्तावेज को सुन समझकर व सही होना मानकर व अपनी स्वयअर्जित खातेदारी कृषि भूमि अपने पौत्र को दान देना स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर अगुठे अंकित कर निष्पादित किया और अप्रार्थी सं.–1 ने स्वयं उप पंजीयक अनूपगढ़ के समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतू प्रस्तुत कर व सुन समझकर सही होना मानकर दस्तावेज दान पत्र दिनांक–29.11.2021 को अप्रार्थी सं.–2 के पक्ष में पंजीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

करवाया हैं जो किसी भी प्रकार से आरम्भ से शून्य निरर्थक एवं नुमाईशी दस्तावेज नहीं हैं बल्कि विधि सम्मत एवं विधिवत निष्पादित एवं पंजीकृत दस्तावेज हैं जिसके तहत कब्जा का हस्तांतरण हुआ हैं ऐसी स्थिति में दान पत्र को सिविल न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता हैं चूकिं प्रार्थीगण का विवादित भूमि के किसी भू भाग पर कब्जा नहीं है राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं.–2 वादग्रस्त कृषि भूमि का सह खातेदार कृषक है जो अपने हिस्सा व कब्जा की भूमि का उपयोग उपभोग करने का हर प्रकार से विधिक अधिकारी है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण खातेदार के विरूद्ध कोई व्यादेश प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नहीं है यह कि प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में अप्रार्थी सं.–1 के हिस्सा की भूमि पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार कानूनन नहीं बनता हैं और ना ही प्रार्थीगण का विवादित भूमि के किसी भू भाग पर कब्जा हैं चूकिं राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं.–2 वादग्रस्त कृषि भूमि का सह खातेदार कृषक हैं जो अपने हिस्सा व कब्जा की भूमि का उपयोग उपभोग करने का हर प्रकार से विधिक अधिकारी हैं प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपुर्णिय क्षति नहीं हैं ऐसी स्थिति में खातेदार कृषक के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती और ना ही प्रार्थीगण खातेदार के विरूद्ध कोई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी हैं प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन किसी भी प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है इस बिनाय पर भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल निरस्ती के हैं प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हैं तथा अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार व हिस्सा नहीं बनता। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में उसकी खातेदारी कृषि भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के हैं यह कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं हैं बल्कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का हैं क्योकिं प्रार्थी पंजीकृत दस्तावेज दान पत्र दिनांक–29.11.2021 को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना श्रीमान न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नही हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के हैं यह कि अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अपने हिस्सा की भूमि मे से प्रार्थीगण एवं अन्य पुत्रों को जमीन दे दी है अब अप्रार्थी सं.–1 की बची हुई भूमि पर प्रार्थीगण का कोई हित निहित नहीं [illegible] सं.–1 की भूमि में से प्रार्थीगण कथित समझौता के तहत कोई हिस्सा प्राप्त करने [illegible] अधिकारी नहीं हैं अप्रार्थी सं–2 को भी प्राप्त हुई भूमि जो पंजीकृत दान पत्र से प्राप्त हुई है को प्रार्थीगण प्रश्नगत करने के अधिकारी नहीं हैं यह कि विवादित भूमि जो अप्रार्थी सं.–1 के नाम से बतौर खातेदार कृषक दर्ज हैं उस सम्बधं में प्रार्थीगण स्थाई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी नही है, ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मौका पर अप्रार्थीगण की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है बिना घोषणा स्थाई आदेश का अनुतोष भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि चक–19 पी का मुरब्बा नं. 11 पत्थर नं.–58 / 63 का किला नं.–6 ता 8, 13 / 25 कुल 4.048 हैक्टर व मुरब्बा नं.–12 पत्थर नं.–58 / 55 का किला नं.–1, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कुल भूमि 0.503 हैक्टर भूमि पर अप्रार्थीगण सं.–1 व 2 बिना खाता विभाजन करवाए उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त मे वेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनु रहे प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावें। पत्रावली पर विवादित भूमि सयुक्त खाता की हैं यदि भूमि का अन्य को हस्तारण कर दिया जाता है तो मुकदमेबाजी बढ़ने की सभावना हैं ऐसी स्थिती में न्यायालय यह उचित समझता हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि चक–19 पी मुरब्बा नं.–11 पत्थर नं.–58 / 63 व मुरब्बा नं.–12 पत्थर नं. –58 / 55 की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर वाके चक–19 पी मुरब्बा नं.–11 पत्थर नं.–58 / 63 का किला नं.–6 ता 8, 13 ता 25 की कुल भूमि 4.048 हैक्टर व मुरब्बा नं.–12 पत्थर नं.–58 / 55 का किला नं.–1, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 की कुल भूमि 2.503 हैक्टर पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे बेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनू रहे। रकबा को रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तांतरित न करें एवं रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज मेरे द्वारा **दिनांक–27.03.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़